

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्य क्षेत्र, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 04-5, 2022

विषय- जनपद चन्दौली के अन्तर्गत नौगढ धनकुवांरी कला से केसार सम्पर्क मार्ग किमी 0 0 से 22.80 किमी 0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 19.62 हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र सं- 8बी/यू०पी०/०६/५८/२०२१/एफ०सी०/२९५, दिनांक 10.08.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-2096/11सी/एफपी/ यूपी/रोड/ 35291/2018, दिनांक 12.1.2022 के माध्यम से अनुपालन आख्या शासन में उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 12.01.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये संगत अभिलेखों सहित अनुपालन आख्या प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न - प्रयोक्ता

भवदीय

[Signature]
(आशीष तिवारी)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०पी०सिंह)

अनु सचिव